कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 1073 /11–सी–FP/UP/Trans/32650/2018, लखनऊ, दिनांकः सितम्बर 28 ,2021

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

विषयः– उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लि0, वाराणसी द्वारा 400 के0वी0 अनपरा–वाराणसी डबल सर्किट पारेषण लाइन के निर्माण में प्रभावित रेनुकूट वन प्रभाग में 98.28 हे0 आरक्षित वनभूमि, ओबरा वन प्रभाग में 113.048 हे0 आरक्षित वनभूमि, सोनभद्र वन प्रभाग में 15.79 हे0 आरक्षित वनभूमि, मीरजापुर वन प्रभाग में 37.51 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग में 54.652 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात कुल प्रभावित 319.28 हे0 आरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के लीज नवीनीकरण की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक–1698/11–सी–FP/UP/Trans/32650/2018, दिनांक 14.01.2021 एवं आपका पत्रांक–1381/मी0क्षे0/33, दिनांक 20.09.2021

महोदय,

इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में इंगित की गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 20.09.2021 के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया, जिसके परीक्षणोपरान्त पुनः निम्न लिखित कमियों/अभिलेखों का अभाव पाया गयाः–

<u>रेनुकूट वन प्रभागः–</u>

1. प्रस्ताव में प्रयोक्ता एजेंसी वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के फलस्वरूप दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, हार्डकापी भाग–2 (हिन्दी वर्जन) के क्रमांक–6 तथा ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–12 में उल्लंधन न किये जाने का उल्लेख है, जोकि परस्पर विरोधाभाष है। अतः स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, हार्डकापी भाग–2 तथा ऑनलाइन भाग–2 में उल्लंधन की सही रिपोर्ट का उल्लेख करते हुये सम्बन्धित अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न करें तथा ऑनलाइन भाग–2 से पूर्व का त्रुटिपूर्ण स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट तथा हार्डकापी भाग–2 डिलिट कर अपलोड करें।
2. ऑनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail के क्रमांक–5 एवं 10 में अपलोड किये गये प्रमाण पत्र ओपन नहीं हो रहा है।
3. उल्लंधन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की वचनबद्धता पुनः प्रस्ताव में संलग्न नहीं की गयी है। इसके स्थान पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाने का अनुरोध किया गया है, जोकि औचित्यपूर्ण नहीं है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक कर उल्लंधन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की वचनबद्धता प्रमाण पत्र, जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में यथास्थान पर अपलोड करें।

<u>ओबरा वन प्रभागः–</u>

1. प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा के द्वारा पृष्ठ सं0–194सी पर संलग्न प्रमाण पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 01.11.1993 में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत दी गयी अनुमति में कोई समय सीमा वर्णित नहीं है तथा लीज अवधि का उल्लेख भी नहीं किया गया है। अतः लीज अवधि के उपरान्त भी इनके द्वारा भूमि का उपयोग किये जाने से वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंधन प्रतीत नहीं होता है तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की आवश्यक प्रतीत नहीं होती है। इस क्रम में अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण में उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 08/23.02.1994 के द्वारा निर्गत विज्ञप्ति में 319.28 हे0 वनभूमि 20 वर्षो हेतु लीज पर दिये जाने का स्पष्ट उल्लेख है। ऐसी स्थिति में आपके द्वारा यह लिखा जाना कि प्रकरण में लीज अवधि का उल्लेख नहीं किया गया है तथा लीज अवधि के उपरान्त भी इनके द्वारा भूमि का उपयोग किये जाने से वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंधन प्रतीत नहीं होता है तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की आवश्यक प्रतीत नहीं होती है, त्रूटिपूर्ण है। अतः उल्लंधन के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुये दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना प्रस्ताव में संलग्न करें तथा पूर्व का त्रुटिपूर्ण दण्डात्मक एन0पी0वी0 का प्रमाण पत्र प्रस्ताव से पृथक कर ऑनलाइन भाग–2 से भी डिलिट करें।
2. प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, हार्डकापी भाग–2 (हिन्दी वर्जन) के क्रमांक–6 तथा ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–12 में उल्लंधन न किये जाने का उल्लेख है, जोकि औचित्यपूर्ण नहीं है। अतः उपरोक्त बिन्दु–1 के अनुसार स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, हार्डकापी भाग–2 तथा ऑनलाइन भाग–2 में उल्लंधन की सही रिपोर्ट का उल्लेख करते हुये सम्बन्धित अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न करें तथा ऑनलाइन भाग–2 से पूर्व का त्रुटिपूर्ण स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट तथा हार्डकापी भाग–2 डिलिट कर अपलोड करें।

3. ऑनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail के क्रमांक–4 में अपलोड किये गये प्रमाण पत्र ओपन नहीं हो रहा है।
4. उल्लंधन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की वचनबद्धता पुनः प्रस्ताव में संलग्न नहीं की गयी है। इसके स्थान पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाने का अनुरोध किया गया है, जोकि औचित्यपूर्ण नहीं है। अतः इसे प्रस्ताव एवं ऑनलाइन भाग–2 से पृथक/डिलिट कर उल्लंधन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की वचनबद्धता प्रमाण पत्र, जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में यथास्थान पर अपलोड करें।

सोनभद्र वन प्रभागः–

1. प्रस्ताव में प्रयोक्ता एजेंसी वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के फलस्वरूप दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, हार्डकापी भाग–2 (हिन्दी वर्जन) के क्रमांक–6 तथा ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–12 में उल्लंधन न किये जाने का उल्लेख है, जोकि परस्पर विरोधाभाष है। अतः स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, हार्डकापी भाग–2 तथा ऑनलाइन भाग–2 में उल्लंधन की सही रिपोर्ट का उल्लेख करते हुये सम्बन्धित अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न करें तथा ऑनलाइन भाग–2 से पूर्व का त्रुटिपूर्ण स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट तथा हार्डकापी भाग–2 डिलिट कर अपलोड करें।
2. ऑनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail में पूर्व का अपलोड किया गया त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण पत्र डिलिट नहीं किया गया है।
3. उल्लंधन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की वचनबद्धता पुनः प्रस्ताव में संलग्न नहीं की गयी है। इसके स्थान पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाने का अनुरोध किया गया है, जोकि औचित्यपूर्ण नहीं है। अतः इसे प्रस्ताव एवं ऑनलाइन भाग–2 से पृथक/डिलिट कर उल्लंधन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की वचनबद्धता प्रमाण पत्र, जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में यथास्थान पर अपलोड करें।

मीरजापुर वन प्रभागः–

1. प्रस्ताव में प्रयोक्ता एजेंसी वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के फलस्वरूप दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, हार्डकापी भाग–2 (हिन्दी वर्जन) के क्रमांक–9 तथा ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–12 में उल्लंधन न किये जाने का उल्लेख है, जोकि परस्पर विरोधाभाष है। अतः स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, हार्डकापी भाग–2 तथा ऑनलाइन भाग–2 में उल्लंधन की सही रिपोर्ट का उल्लेख करते हुये सम्बन्धित अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न करें तथा ऑनलाइन भाग–2 से पूर्व का त्रुटिपूर्ण स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट तथा हार्डकापी भाग–2 डिलिट कर अपलोड करें।
2. ऑनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail के क्रमांक–4, 19 एवं 30 में अपलोड किये गये प्रमाण पत्र ओपन नहीं हो रहा है।
3. ऑनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail में पूर्व का अपलोड किया गया त्रुटिपूर्ण हार्डकापी भाग–2 को डिलिट नहीं किया गया है।
4. ऑनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail में पूर्व का अपलोड किया गया त्रुटिपूर्ण एन0पी0वी0 की गणना को डिलिट नहीं किया गया है।
5. उल्लंधन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की वचनबद्धता पुनः प्रस्ताव में संलग्न नहीं की गयी है। इसके स्थान पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाने का अनुरोध किया गया है, जोकि औचित्यपूर्ण नहीं है। अतः इसे प्रस्ताव एवं ऑनलाइन भाग–2 से पृथक/डिलिट कर उल्लंधन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की वचनबद्धता प्रमाण पत्र, जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में यथास्थान पर अपलोड करें।

कैमूर वन प्रभागः–

1. प्रस्ताव में प्रयोक्ता एजेंसी वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के फलस्वरूप दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, हार्डकापी भाग–2 (हिन्दी वर्जन) के क्रमांक–6 तथा ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–12 में उल्लंधन न किये जाने का उल्लेख है, जोकि परस्पर विरोधाभाष है। अतः स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, हार्डकापी भाग–2 तथा ऑनलाइन भाग–2 में उल्लंधन की सही रिपोर्ट का उल्लेख करते हुये सम्बन्धित अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न करें तथा ऑनलाइन भाग–2 से पूर्व का त्रुटिपूर्ण स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट तथा हार्डकापी भाग–2 डिलिट कर अपलोड करें।

2. ऑनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail में पूर्व का अपलोड किया गया त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण पत्र डिलिट नहीं किया गया है।
3. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव (पश्चिमी क्षेत्र) कानपुर की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्ताव में पुनः संलग्न नहीं की गयी है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।
4. ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–16 में मुख्य वन संरक्षक द्वारा अपनी संस्तुति के स्थान पर ब्लैंक पेपर अपलोड किया गया है, जोकि गलत है। अतः इसे एन0आई0सी0, नई दिल्ली से डिलिट कराकर मुख्य वन संरक्षक की संस्तुति का भाग–3 यथास्थान पर अपलोड करें।
5. उल्लंघन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की वचनबद्धता पुनः प्रस्ताव में संलग्न नहीं की गयी है। इसके स्थान पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाने का अनुरोध किया गया है, जोकि औचित्यपूर्ण नहीं है। अतः इसे प्रस्ताव एवं ऑनलाइन भाग–2 से पृथक/डिलिट कर उल्लंघन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की वचनबद्धता प्रमाण पत्र, जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में यथास्थान पर अपलोड करें।

अतः कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03 प्रतियॉ प्राप्त कराकर, इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 1073/11–सी– FP/UP/Trans/32650/2018, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव (पश्चिमी क्षेत्र) कानपुर को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–16 में अपलोड किये गये ब्लैंक पेपर को एन0आई0सी0, नई दिल्ली से डिलिट कराकर उस स्थान पर अपनी संस्तुति का भाग–3 अपलोड कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट, ओबरा, सोनभद्र, मीरजापुर एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड–द्वितीय–14/74ए–2 अन्धरापुल, वाराणसी।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।